न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 112/2022

1 बबली देवी पत्नी सतीश कुमार जाति जांगिड़ निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अमर सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 रघुवीर सिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 अजयसिंह पुत्र बहादूर सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 जयवीर सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 प्रभूसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 प्रमोद सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 मंगेज कंवर पत्नी सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
8 मैनपाल सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 रामपाल सिंह पुत्र बहादूर सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 श्यामपाल सिंह पुत्र बहादूर सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
11 सुनिता बाई पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

12 सुरेश कंवर पत्नी बहादूर सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
13 इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
14 राजस्थान सरकार जरिये लैण्उ होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा उनवानी अमरसिंह बनाम बबली वगै. मु.नं. 115/2018 आवेदन पत्र अ. धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :
1. श्री राजेश कुमार मीणा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 115/2018 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 1843, 1844, 1846, 1855, 2818/2259 वाके ग्राम गोविन्ददासपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1840 रकबा 0.26 हैक्टेयर की दक्षिण से उत्तर की ओर पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे कभी कोई पगडण्डी के रूप में कोई रास्ता नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में कोई पगडण्डी या रास्ता है व न ही प्रार्थी कभी इधर से अपने खेत में गया है। प्रार्थी के मकान खसरा नम्बर 1831 में है तथा उसके मकान से उसके खेत खसरा नम्बर 1843 में आने जाने के लिए सीधा रास्त कदीम से नक्शे में लाल स्याही से दिखाये गये रास्ते से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसके भाईयों की भूमि खसरा नम्बर 1844 में आता है। उसमें से खसरा नम्बर 1843 में आता है। इसी रास्ते से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसके भाई आते जाते है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने नक्शा गलत बनाकर पेश किया है। इन तथ्यों पर गोर नही कर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने तहसीलदार खेतड़ी व हल्का गिरदावर की रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर भी न्यायालय ने बिना गौर किये आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क की मंशा भी यही है किसी खातेदारी के पास उसकी कृषि भूमि में आने जाने एवं जोत के लिए रास्ता का अभाव हो एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो वह रास्ते की मांग कर सकता है किसी भी पक्षकार को उसकी सुविधा के अनुसार रास्ते के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं है। न ही उसकी सुविधा के अनुसार रास्ता उपलब्ध होगा। विचारण न्यायालय ने धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है। आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं है ना ही उक्त रिपोर्ट प्रार्थी/अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार की गई है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट केवल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को फायदा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदैन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। इसलिए उक्त रिपोर्ट सरासर मिथ्या एवं काल्पनिक है। इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को खसरा नम्बर 1843 में पहुंच हेतु रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। उक्त खसरा नम्बरान में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 1843 में से प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 12 फुट चौड़ाई में 56 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1843 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। प्रार्थी व आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 की विचारण न्यायालय में वकालतन उपस्थिति रहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति पर सुनकर आपत्ति का निस्तारण किया है। तदुंपरात विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा लगभग छ माह की देरी से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण का गुणावगुण प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता है। इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 15.12.2020 का अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा संलग्न है। विचारण न्यायालय ने नजरी नक्शे के अनुसार मौका रिपोर्ट पर विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर